राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प / जय / गुणवत्ता / शगुनोत्सव / 2019–20 / 8985 दिनांक 3/1/2020

शगुनोत्सव दिशा–निर्देश

सत्र 2019–20

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा समस्त राजकीय एवं राजकीय अनुदानित विद्यालयों का सेन्सस आधारित सघन विद्यालय अवलोकन करने हेतु शगुनोत्सव कार्यक्रम संचालित किया जाना है। गत वर्षो में विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न नवाचार किये गये है, जैसे कि – यू–डाइस+, Performance Grading Index, विद्यालयों की GIS मैपिंग इत्यादि। इन विभिन्न नवाचारों द्वारा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं गुणवत्ता सम्बन्धित डाटा का आकलन किया जाता है। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का आकलन के पश्चात विद्यालय स्तर पर सुविधाओं का अभाव व कमियां पाई जाती है। अतः विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय स्तर पर उपलब्ध भौतिक संसाधनो एवं सुविधाओं की जाँच तथा मॉनिटरिंग समय–समय पर किया जाना अति आवश्यक है।

परिदृश्य –

1. समस्त राजकीय एवं राजकीय अनुदानित विद्यालयों का संसस आधारित ऑडिट किया जाना है।
2. UDISE+, PGI, समग्र शिक्षा, मिड–डे–मील एवं आपदा प्रबन्धन अन्तर्गत उपलब्ध सूचनाओं का अवलोकन किया जाना है।
3. इस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच नहीं की जानी है।
4. इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सभी विद्यालयों की ग्रेडिग की जानी है।
5. कार्यक्रम पश्चात उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर योजना निर्माण एवं प्रबन्धन का कार्य किया जाना है।

उद्देश्य –

1. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर समस्त राजकीय एवं राजकीय अनुदानित विद्यालयों के स्तर की जाँच करना।
2. विभिन्न माध्यमों जैसे कि – UDISE+ द्वारा संकलित किये गये डाटा की सत्यता की जाँच करना।
3. सभी स्तरों (विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य) पर विभिन्न मापदण्डो के आधार पर फीडबैक देना।
4. शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु साक्ष्य आधारित योजना का निर्माण कर विद्यालय से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करना।

प्रक्रिया –

1. राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम गुणवत्ता शिक्षा प्रकोष्ठ अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी को इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया है।
2. जिले पर संचालित डाइट कार्यालय के प्रधानाचार्य को शगुनोत्सव कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला समन्वयक (District Coordintor) नियुक्त किया गया है।
3. विद्यालयों की जाँच हेतु भारत सरकार द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई है। इस प्रश्नावली के माध्यम से विद्यालयों के अवलोकन का कार्य किया जायेगा।
4. सभी विद्यालयों की जाँच ऑनलाईन माध्यम से शगुनोत्सव मोबाईल ऐप द्वारा की जायेगी।
5. इस कार्यक्रम से संबंधित समस्त कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में उपरोक्त मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। (गठित मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ में तकनीकी समस्या समाधान हेतु आवश्यक रूप से जिला MIS Incharge को शामिल किया जाये) ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में उपरोक्त मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा।
6. राज्य स्तर पर सभी जिला समन्वयकों (डाइट प्रधानाचार्य) का क्षमता संवर्धन अभिमुखीकरण किया जायेगा तथा जिला समन्वयकों द्वारा चिन्हित किये गये सर्वेयरों का क्षमता संवर्धन कार्य किया जायेगा।
7. जिले पर संचालित डाइट कार्यालय में कार्यरत डाइट फैक्ल्टी एवं ट्रेनी विद्यार्थियों को सर्वेयरों के रूप में चिन्हित किया जायेगा। आवश्यकता होने पर ब्लॉक मुख्यालय, समग्र शिक्षा में कार्यरत ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को भी सर्वेयर के रूप में शामिल किया जा सकता है। ६

8. शगुनोत्सव कार्यक्रम विद्यालयों में प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों हेतु जिला समन्वयक के साथ एक दिवसीय बैठक आयोजित करें जिसमे कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं कार्ययोजना तैयार की जावें।

गतिविधि एवं प्रावधान –

गतिविधि	विद्यालय का प्रकार	प्रावधान (राशि रूपयों में)	ईकाई
शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का सर्वे	प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	500	प्रति विद्यालय
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का सर्वे	प्रारम्भिक	600	प्रति विद्यालय
	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	800	प्रति विद्यालय
दो माह हेतु इन्टरनेट पैकेज (Unlimited)	प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	600	प्रति सर्वेयर 300 रू. प्रति माह
सर्वेयरों द्वारा मोबाईल ऐप के उपयोग हेतु आवश्यक अभिमुखीकरण (जिला स्तर पर)	प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	500	प्रति व्यक्ति प्रति दिवस

कर्तव्य एवं दायित्व

जिला स्तर –

1. जिला स्तर पर चयनित किये गये जिला समन्वयक द्वारा इस कार्यक्रम से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जायेगें।
2. जिला समन्वयक द्वारा विद्यालय निरीक्षण हेतु सर्वेयरों को विद्यालय आवंटित किये जायेंगे।
3. जिला समन्वयक द्वारा शगुनोत्सव अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षण हेतु निर्धारित टीए/डीए एवं इन्टरनेट हेतु राशि समस्त सर्वेयरो को सही समय पर प्रदान की जायेगी।
4. डाइट कार्यालय में कार्यरत डाइट फैक्ल्टी, ट्रेनी एवं आवश्यकता होने पर ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को विद्यालयों की संख्यानुसार सर्वेयरों के रूप में चयनित किया जायेगा।
5. जिला समन्वयक द्वारा चयनित किये गये समस्त सर्वेयरों का जिलेवार अभिमुखीकरण कार्य सम्पादित किया जायेगा।
6. चयनित किये गये सर्वेयरों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा।
7. आवश्यकतानुसार यदि ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को सर्वेयर बनाया गया है तो चयनित ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति अपने जिले के किसी अन्य ब्लॉक के विद्यालयों का सर्वे करेंगे।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा द्वारा जिले पर गठित मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के माध्यम से सभी मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण कार्य सम्पादित किये जायेगें।

9. जिले पर गठित मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा प्रति दिवस इस कार्य की मॉनीटरिंग की जानी है तथा सभी आवश्यक डाटा समय पर पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10. मोबाईल ऐप एवं शगुनोत्सव वेब पोर्टल से संबंधित समस्त तकनीकी सहायता हेतु अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा जिला कार्यालय में कार्यरत जिला एमआईएस इन्चार्ज द्वारा सहयोग किया जाना सुनिश्चित करावें।

ब्लॉक स्तर –

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जावें। (गठित मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति एवं तकनीकी समस्या समाधान हेतु आवश्यक रूप से ब्लॉक ऑपरेटर को शामिल किया जाये)
2. ब्लॉक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा शगुनोत्सव कार्यक्रम की प्रति दिवस प्रगति रिपोर्ट को अद्यतन कर जिला समन्वयक को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3. ब्लॉक सन्दर्भ व्यक्ति को सर्वेयर बनाया गया है तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उसको स्वयं के ब्लॉक के विद्यालय सर्वे हेतु आवंटित नही किये जावें।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/शगुनोत्सव/2019–20/ 8985 दिनांक 3/1/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा, समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
9. प्रधानाचार्य, डाइट समस्त जिले।
10. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
12. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त।
13. कार्यालय प्रति।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग